

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/उपा-11/2022/डी- 3107

दिनांक 17/11/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल, श्री प्रखर मित्तल पुत्र श्री प्रदीप मित्तल एवं श्रीमती प्रनिका मित्तल पुत्री श्री प्रदीप मित्तल पत्नी श्री अंकित बेदी निवासी-ए-12, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर द्वारा ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227 एवं 228 कुल कता 7 कुल क्षेत्रफल 21956.00 वर्गमीटर की आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा दिनांक 07.06.2017 को आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227 एवं 228 कुल कता 7 कुल क्षेत्रफल 21956.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ लीजडीड दिनांक 07.6.2017 को श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल के पक्ष में लीजडीड जारी किये जाने के पश्चात नाम हस्तान्तरण दिनांक 10.6.2022 के द्वारा श्री प्रखर मित्तल पुत्र श्री प्रदीप मित्तल अविभाजित हि. 1/3 एवं श्रीमती प्रनिका मित्तल पुत्री श्री प्रदीप मित्तल पत्नी श्री अंकित बेदी अविभाजित हि. 1/3, निवासी-ए-12, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर के पक्ष में जारी की गयी थी।


अतः उक्त भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के संबंध में संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एकल पट्टा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17/11/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 2- श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल के पक्ष में लीजडीड जारी किये जाने के पश्चात नाम हस्तान्तरण दिनांक 10.6.2022 के द्वारा श्री प्रखर मित्तल पुत्र श्री प्रदीप मित्तल अविभाजित हि. 1/3 एवं श्रीमती प्रनिका मित्तल पुत्री श्री प्रदीप मित्तल पत्नी श्री अंकित बेदी अविभाजित हि. 1/3 निवासी-ए-12, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4708

दिनांक 18/11/2022

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष.	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री हरीराम गुर्जर पुत्र श्री खूबाराम	श्रीमती मोहरी देवी पत्नी श्री रामप्रसाद जाट	13	166.67	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
2	श्री हरीराम गुर्जर पुत्र श्री खूबाराम	श्री अमन चौधरी पुत्र श्री रामप्रसाद जाट	16	200	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
3	श्री पूरणमल गुर्जर पुत्र श्री खूबाराम	श्री राजेन्द्र प्रसाद जोतड़ पुत्र श्री रामप्रसाद जाट	14	222.22	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
4	श्री दीपराज कसाना पुत्र श्री पूरणमल कसाना	श्री रामप्रसाद जाट पुत्र श्री रामकरण जाट	15	266.67	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
5	उमेश चन्द श्रीमाल पुत्र श्री छीतरमल श्रीमाल	उमेश चन्द श्रीमाल पुत्र श्री छीतरमल श्रीमाल	49	165	लूनियावास	सी.जी.एम नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड अंकित नहीं होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।


राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-4339 दिनांक:- 18/11/2022

## —:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राज कुमार शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा	श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह	70	111.11	राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	कृष्णा विहार-सी	नाम हस्तांतरण	रजि.विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजि. हकत्याग पत्र
2	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	श्री नन्द लाल शर्मा	22	227.95	हसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	महावीर नगर	फ्रीहोल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजि. हकत्याग पत्र

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-आम सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार एफ ब्लॉक के भूखण्ड संख्या एफ.सी-68 क्षेत्रफल 665.30 व.ग. श्री रवीन शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा द्वारा जोन में वार्षिक पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आंशिक भाग ग्राम असरपुरा के खसरा नम्बर 102 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड के संबंध में पट्टा विलेख की प्रक्रिया कार्यवाही कर दी जावेगी।

  
उपायुक्त,  
पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)  
जयपुर, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:- जयपुरा / उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम) / 22 / डी- 2623  
दिनांक:- 11/11/22


### सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार मैसर्स गैलेक्सी विल्डमार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक अभिनीत डागा रजि. ऑफिस 45, जैम एनक्लेव, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर एवं मैसर्स गैलेक्सी रियल मार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक अभिनीत डागा रजि. ऑफिस 45, जैम एनक्लेव, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 1620 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 3005/1637 रकबा 0.50 हैक्ट. ख.नं. 2984/1643 रकबा 1.26 हैक्ट. ख.नं. 1621 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 1643/1 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल कता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्ट. भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 1620 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 3005/1637 रकबा 0.50 हैक्ट. ख.नं. 2984/1643 रकबा 1.26 हैक्ट. ख.नं. 1621 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 1643/1 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल कता 6 कुल रकबा 3.11 हैक्ट. भूमि का 90ए के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 08.9.2021 को आवासीय प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 08.9.2021 को पारित किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जाविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।


अतः ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर ख.नं. 1620 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 3005/1637 रकबा 0.50 हैक्ट. ख.नं. 2984/1643 रकबा 1.26 हैक्ट. ख.नं. 1621 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 1643/1 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल कता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्ट. भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में लघु उद्योग में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना गेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17/11/22 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जा.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जाविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. खातेदार मैसर्स गैलेक्सी विल्डमार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक अभिनीत डागा रजि. ऑफिस 45, जैम एनक्लेव, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर एवं मैसर्स गैलेक्सी रियल मार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक अभिनीत डागा रजि. ऑफिस 45, जैम एनक्लेव, मालवीय नगर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

VIVO X80 · ZEISS  
Nov 16, 2022, 16:29



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

### आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय लीजडीज जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लॉकाउटर/गुल आगंठी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	सू.नि.सं./निजी खासिवासी/जमिना/योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री. वल्लभ लाल कुमार	श्रीमती अविष्ठा खल	88	88.12 वर्ग मी	नैचुरल गैस-सं. लि	रत्न ऑगो-मनू कॉलोनी	श्री. वल्लभ लाल कुमार	संपत्ति द्वारा जारी आवेदन पत्र, सर्वे पत्र, सार्वजनिक नक्शा, संपत्ति का नक्शा, संपत्ति का नक्शा

उपरोक्त दस्तावेजों के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण को पट्टा आवेदन के माध्यम से जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई अड़ती है तो अपनी आगती इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिनों की अवधि में प्राधिकरण के कार्यालय पी.डी.एस.ए. 218डी में दर्ज करावे। 07 दिनों की अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पत्र में निर्दिष्ट नगर विकास प्राधिकरण/लीजडीज जारी कर दिया जावेगा।

जयपुर-7,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सूची नोट क्रमांक जमिना/जप17/2022/डी- 2461  
दिनांक : 16-11-22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/उपा-11/2022/डी- 3107

दिनांक 17/11/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल, श्री प्रखर मित्तल पुत्र श्री प्रदीप मित्तल एवं श्रीमती प्रनिका मित्तल पुत्री श्री प्रदीप मित्तल पत्नी श्री अंकित बेदी निवासी-ए-12, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर द्वारा ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227 एवं 228 कुल कता 7 कुल क्षेत्रफल 21956.00 वर्गमीटर की आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा दिनांक 07.06.2017 को आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227 एवं 228 कुल कता 7 कुल क्षेत्रफल 21956.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ लीजडीड दिनांक 07.6.2017 को श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल के पक्ष में लीजडीड जारी किये जाने के पश्चात नाम हस्तान्तरण दिनांक 10.6.2022 के द्वारा श्री प्रखर मित्तल पुत्र श्री प्रदीप मित्तल अविभाजित हि. 1/3 एवं श्रीमती प्रनिका मित्तल पुत्री श्री प्रदीप मित्तल पत्नी श्री अंकित बेदी अविभाजित हि. 1/3, निवासी-ए-12, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर के पक्ष में जारी की गयी थी।

अतः उक्त भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के संबंध में संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एकल पट्टा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17/11/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल के पक्ष में लीजडीड जारी किये जाने के पश्चात नाम हस्तान्तरण दिनांक 10.6.2022 के द्वारा श्री प्रखर मित्तल पुत्र श्री प्रदीप मित्तल अविभाजित हि. 1/3 एवं श्रीमती प्रनिका मित्तल पुत्री श्री प्रदीप मित्तल पत्नी श्री अंकित बेदी अविभाजित हि. 1/3 निवासी-ए-12, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 5507

दिनांक:- 17/11/22

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	ए-3/51	40.00 व.मी.	मैसर्स कुशल फेट केरियर श्रीमती भूतिया जरिये सुनिता	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना व्यवसायिक	मूल खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान द्वारा हकत्याग पत्र के आधार नामहस्तांतरण/लीज होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 4317 दिनांक:- 15-11-2022

## -:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री विकास कुमार शर्मा	ममता शर्मा	24	64.00	रामनगर गृ.नि. स.स.लि.	शंकर वाटिका	लीजडीड	अपंजीकृत वसीयतनामा।

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।


उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 4326 दिनांक:- 17.11.22

## आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अपॉलो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राधा मुकुट विहार ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास के खसरा नम्बर 449 से 452 पर सृजित कर दिनांक 08.12.2014 को अनुमोदन किया जा चुका है। उक्त योजना की जेडएलसी दिनांक 08.12.2014 के निर्णय के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार भूखण्ड संख्या 46-ए से 46-डी से सम्बंध में खातेदारों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर सोसायटी का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने के कारण उक्त भूखण्डों को अनुमोदन से लम्बित रखा गया था। आपत्तिकर्ता खातेदारों के वारिसों द्वारा स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र, हकत्याग प्रमाण पत्र एवं मौके पर काबिज होने के दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार भूखण्डों का नाम प्रतिस्थापन/आवंटन/नियमन करवाने हेतु खातेदारों/भूखण्डधारीयों द्वारा आवेदन किया गया है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2020 एवं 29.09.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 449 के आंशिक भाग निम्नलिखित भूखण्डों का नियमन जोन कार्यालय में प्रक्रियाधीन है :-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल
1.	गोविन्द सैनी	स्व. श्री कन्हैयालाल	46-A	701.45
2.	पदम सैनी एवं खेमचन्द सैनी	स्व. श्री गुट्टन सैनी	46-B	701.45
3	जगदीश सैनी	स्व. श्री देवी लाल	46-C	701.50

अतः यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को उक्त भूखण्डों के नियमन के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के अखबार में प्रकाशन से 7 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

६०

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

७-१६

उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2022/डी-

1140

दिनांक:- 16/11/22

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती संजू कंवर पत्नी श्री मान सिंह	श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह	22-ए	103	मीनावाला	मिनाक्षीपुरम-ए	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर।
2	श्रीमती चांद कंवर पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह	श्री राकेश यादव पुत्र श्री राम लाल यादव	66	166.7	राम नगर	मंगल विहार	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर।
3	श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री रामचन्द्र	श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री रामचन्द्र	32	145	श्री को-ऑपरेटि सो.	शिव विहार	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के कम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं अधिकारी  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102214 D-2490

दिनांक: 17/11/2022

लोक सूचना

श्री MOTI RAM KALA पुत्र श्री CHHOTU RAM जाति KALA निवासी B-29PIPALI KI DHANI, AJMER ROAD, DHAWAS, HEERAPURA, JAIPURA RAJASTHAN 302024

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	MOTI RAM KALA	2038	19855	1.9855
<b>कुल</b>					<b>1.9855</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-11-2022 को जारी की गयी।

उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7  
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जविप्रा/उपा./जोन-2/2022/डी- 2224


दिनांक 18/11/2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय : 90 ए की लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोकसूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन आपके स्तर पर करवाया जाना है। अतः लोक सूचना 08 (आठ) फॉन्ट साईज में प्रकाशन करवाकर इसकी एक प्रति इस कार्यालय में पेश करें।

संलग्न :- लोक सूचना

  
उपायुक्त जोन-2  
जविप्रा, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 2223

दिनांक 18/11/2022

## लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तांतरित होने के कारण नागरिक विकास मंच विकास समिति द्वारा निजी खातेदारी, की आवासीय योजना सीतारामपुरी हीदा की मोरी व लकडा की बगीची, जयपुर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। विकास समिति द्वारा भूमि के नियमन के संबंध में आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं। जिसके साथ विक्रय पत्र/इकरारनामा संलग्न किए गए हैं, जिसके आधार पर कृषि भूमि का मौके पर निरीक्षण करवाया गया। प्रथम दृष्टया भूमि का अकृषि प्रयोग किये जाने का साक्ष्य/रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90क(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
1	2	3	4	5
मोतीकटला/जयपुर	नागरिक विकास मंच विकास समिति	828	0.0885	गोविन्द नारायण पुत्र छोटी लाल लकडा हि. 1/4 राधेश्याम पुत्र छोटी लाल लकडा हिस्सा 1/4 रामगोपाल पुत्र छोटी लाल लकडा हिस्सा 1/4 रामेश्वर लाल पुत्र छोटी लाल लकडा हि. 1/4 जाति महाजन सा.चौ. तोपखाना हजुरी रास्ता खुरा जीन माता जयपुर खातेदार
		829	0.0126	
		830	0.3162	
		831	0.0126	
		832	0.0379	
		865	0.0253	गणेश पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 घासी पुत्र धन्ना हिस्सा 1/4 नारायण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 रामपाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/4 जाति माली सा. देह खातेदार
	किता	6	0.4911	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरण अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरण से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 18.11.2022 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-02

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।



यूओ.नोट

विषय:- प्रारूप-13 (नियम 13(2)देखिये) लोक सूचना का प्रकाशन करवाने जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सु-मोटो 90-क की 13 (नियम 13(2)देखिये) लोक सूचना का प्रारूप तैयार कर भिजवाया जा रहा है। कृपया उक्त का प्रकाशन नियामनुसार दो दैनिक समाचार-पत्र में करवाने का श्रम करावें।

संलग्न:- 13 (नियम 13(2)देखिये) लोक सूचना की प्रति।

4

उपरोक्त पीआरएन-उत्तर प्रथम  
पीआरएन-उत्तर (विभाग)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

✓ जन सम्पर्क अधिकारी,  
जविप्रा, जयपुर।

यूओ.नोट क्रमांक: जविप्रा

दिनांक:

No. 1141

DL. 16/11/22

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर-उत्तर(प्रथम) सामुदायिक केन्द्र चित्रकूट स्टेडियम,  
वैशाली नगर, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पीआरएन/उत्तर/प्रथम/2022/डी-

दिनांक:

प्रारूप-13

(नियम 13(2)देखिये)

लोक सूचना

विषय:- भूमि के अधिकारों और हित के पर्यवसान की सूचना।

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि पीआरएन-उत्तर(प्रथम) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार में श्री बालाजीधाम, बडारामा उर्फ चकपीथावास जो कि महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 द्वारा सृजित की गई है तथा मौके पर भूमि का कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि ग्राम चकपीथावास उर्फ बडारामा तहसील जिला जयपुर की भूमि है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम व तहसील	नाम खातेदार (जमाबंदी सम्बत् 2069-72)	ख.नं.	रकबा (बीघा बिस्वा)	भूमि वर्गीकरण	नाम खातेदार (एनआईसी जमाबंदी 2076-79)	ख.नं.	रकबा है0	भूमि वर्गीकरण
1	चक पीथावास उर्फ बडाराम, जयपुर	श्रीनारायण पुत्र मोती कौम मीणा हि. 329/3024, कजोडमल, रामचन्द्र, बिरदीचन्द, मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण, नरसीराम पि0 जगन हि. 714/12096 पूनमचन्द, बाबूलाल, श्रवणलाल पि. गोपाल लाल हि. 119/12096 रतनलाल, गिरधारी पि. कन्हैया लाल उर्फ कानाराम हि. 119/12096 श्रीमती ममता गोयल पत्नी पंकज गोयल व श्रीमती विमल गोयल पत्नी ओमप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल नि.ई.181 सी-स्कीम जयपुर हि. 288/18176 रामदयाल, सीताराम पि. मंगलचन्द कौम अहीर हि. 3120/18176 श्रीमती कमला पत्नी रणधीर सिंह चौधरी हि. 4560/24192 श्रीमती चित्रलेखा पत्नी मनोज कुमार हि.	229	75.12	बारानी-2 (45.0 बीघा) बजंड-1 (30.12 बीघा)	(1) कजोडमल पुत्र जगन हि 1881/122608 गणेश पु. सुन्दर हि. 249/15326 गिरधारी पु. कन्हैया लाल उर्फ कानाराम हि. 941/122608 चन्दालाल पु. सुन्दर हि. 249/15326, नरसीराम पुत्र जगन हि. 1881/122608 जाति अहीर सा.देह, नेहरू गृ.नि.स.समिति हि. 249/15326 डीसीएम अजमेर रोड, जयपुर, पूनमचन्द पुत्र गोपाललाल हि. 627/122608, बाबूलाल पु. गोपाललाल हि. 627/122608, बिरदीचन्द पुत्र जगन हि. 1881/122608 जाति अहीर, बीनादेवी पत्नी नाथूलाल हि. 4015/122608 भूलीदेवी पत्नी गोपाल मीना हि. 1897/30652 जाति मीना सा.	321/229	7.1523	बजंड-1 (3.0023) बारानी-2 (4.1500)
							322/229	5.1085	बजंड-1 (1.3767) बारानी-2 (3.7318)

SD

		<p>59/1008 कौम जाट श्रीनारायण पुत्र गंगा बक्ष हि. 1/16 चन्दालाल, गणेश, श्याम लाल, भौलूराम, पि. सुन्दर हि. 4/96 मन्नी बेवा रतनलाल, मंजू पुत्री रतनलाल, राजेन्द्र, महेन्द्र पि. रतनलाल हि. 1/96 मंगलचन्द, हनुमान सहाय पि. कजोड हि. 1/64, रामेश्वर, सूजन, लल्लू पि. गंगाबक्ष हि. 3/64 लल्लू पुत्र रामू कौम अहीर हि. 3/32 सा0देह सूजादेवी पत्नी नारायणलाल जाति मीणा हाल निवासी पचार तह. जयपुर हि. 200/507 दर हि. 3/32 भूली देवी पत्नी गोपालमीणा जाती मीणा निवासी कनकपुरा रेलवे मालगोदाम के पास ग्राम गोकुलपुरा हि. 240/567 दर हि 3/32 बीनादेवी पत्नी नाथूलाल जाति मीणा हि. 127/567 दर हि. 3/32 निवासी कनकपुरा रेलवे मालगोदाम के पास नई कोठी ग्राम गोकुलपुरा तह. जयपुर, नेहरू गृ. नि.स.स. लि0 जयपुर हि. 1/96 पंजिकृत नं. एल/2764 पंजिकृत कार्यालय 4 डीसीएम गोदाम अजमेर रोड, जयपुर जरिए मंत्री पवन कुमार अग्रवाल</p>				<p>कनकपुरा रेलवे मालगोदाम के पास, ग्राम गोकुलपुरा, भोलूराम पुत्र सुन्दर हि. 249/15326 मंगलचन्द पुत्र कजोड हि. 747/61304 मंजू पुत्री रतनलाल हि. 249/61304 मन्नी पत्नी स्व. रतनलाल हि. 249/61304 जाति अहीर, ममता गोयल पत्नी पंकज गोयल हि. 1515/122608 जाति अग्रवाल सा. ई-181 सी-स्कीम, जयपुर, महेन्द्र पुत्र रतनलाल हि.249/61304 जाति अहीर, मोहन लाल पुत्र जगन हि. 1881/122608 रतनलाल पुत्र कन्हैया लाल उर्फ कानाराम हि. 941/122608 राजेन्द्र पु. रतनलाल हि. 249/61304. रामचन्द्र पुत्र जगन हि. 1881/122608 रामदयाल पुत्र मंगलचन्द हि. 16411/12260 8, रामेश्वर पुत्र गंगाबक्ष हि. 747/30652 लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन हि. 1881/122608 लल्लू पुत्र रामू हि. 8963/61304, लल्लू पुत्र गंगा बक्ष हि. 747/30652 जाति अहीर, विमला गोयल पत्नी ओमप्रकाश गोयल हि. 1515/122608</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					जाति अग्रवाल ई-181 सी-स्कीम, जयपुर, श्याम लाल पुत्र सुन्दर हि. 249/15306, श्रवणलाल पुत्र गोपाललाल हि. 627/122608, श्रीनारायण पु. गंगाबक्ष हि. 11951/12260 8, सूजन पुत्र गंगाबक्ष हि. 749/30652 जाति अहीर सूजादेवी पत्नी नारायण लाल हि. 6323/122608 जाति मीणा सा. पचार तह. जयपुर, सीताराम पुत्र मंगलचन्द हि. 16411/12260 8 हनुमान सहाय पु. कजोड हि. 747/61304 जाति अहीर सा.देह खातेदार			
					(2) श्रीनारायण पुत्र मोती हि. पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार	319/229	1.3216	बजंड-1 (0.3216) बारानी-2 (1.0000)
					(3) कमला पत्नी रणधीर सिंह हि. 36611/40363 चित्रलेखा उर्फ चित्रा चौधरी पत्नी मनोज कुमार हि. 3752/40363 जाति जाट सा. देह खातेदार	323/318	1.5960	बजंड-1 (0.9260) बारानी-2 (0.6700)
					चित्रा चौधरी पत्नी मनोज कुमार हि. 3752/40363 जाति जाट सा. देह खातेदार	325/318	2.4403	बजंड-1 (1.4403) बारानी-2 (1.0000)
					(4) चित्रलेखा उर्फ चित्रा चौधरी पत्नी मनोज कुमार हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	324/318	0.7440	बजंड-1 (0.4140) बारानी-2 (0.3300)

नोट:-

(1) पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 6 का राजपत्र प्रकाशन दिनांक 31.07.1989 में ग्राम चकपीथावास तह. जयपुर खसरा नम्बर 229 रकबा 75 बीघा 12 बिस्वा में से 3 बीघा पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति में शामिल है, जो जविप्रा के



नाम दर्ज हो चुकी है। शेष भूमि 72 बीघा 12 बिस्वा छूटे हुए खसरा नम्बर की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 6 का राजपत्र प्रकाशन दिनांक 25.01.2000 में शामिल है, जो 1848 बीघा भूमि में शामिल है, जिसकी सुओ-मोटो 90-क की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।  
(2) एनआईसी जमाबंदी सम्वत् 2076-78 एवं राजस्व तरमीम नक्शा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जमाबंदी की प्रति अपना खाता वेबसाईट से ली गई है।

उपरोक्त भूमि या उसके भाग का वर्ष 1997 के पश्चात की कालावधि से गैर कृषिक योजनाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि पूर्व में उक्त भूमि/उसके भाग को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में समर्पण कर कोई आरक्षण/आवंटन पत्र प्राप्त किया हो तो इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिवस के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जावे और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वर्ष 2022 के नवम्बर माह के...16/11/22 दिन की जारी की जाती है।

दिनांक  
स्थान

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण-उत्तर-प्रथम  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, जयपुर को सूचनार्थ एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों के संबंध में प्रशंगनत खसरा नम्बर के प्रभावित होने या न होने के संबंध में आपत्ति/अनापत्ति अविलम्ब 7 दिवस में प्रेषित करने का श्रम करे। टिप्पणी के अभाव में आपकी अनापत्ति मान ली जावेगी।
2. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण-उत्तर-प्रथम  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

21



75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

75  
YEARS OF  
INDEPENDENCE  
OF INDIA

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी- 4206

दिनांक 18/11/22

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 श्री गणेश नारायण	श्री गणेश नारायण सैनी पुत्र श्री बुद्धिराम सैनी	21	272.22	निजी	कृष्णा सागर	नाम हस्तान्तरण	वसीतय के आधार पर
2	श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 श्री गणेश नारायण	श्री गणेश नारायण सैनी पुत्र श्री बुद्धिराम सैनी	22	272.22	निजी	कृष्णा सागर	नाम हस्तान्तरण	वसीतय के आधार पर
3	कनकलता दुगड पत्नी श्री ज्ञानचन्द दुगड	शंकरलाल मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा	268	283.50	निजी	केसर नगर	लीजडीड	मूल दस्तावेजार्थ गुप्त होने के कारण

सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।**

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3600

दिनांक:-18-11-22

**लोक सूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण **बाबा आर एन गौड गृह निर्माण सहकारी समित** की आवासीय योजना **मानविहार विस्तार (विकास समिति)** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपटित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपटित धारा 90-क (5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावक्षित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व	
बड़ी का बास	सांगानेर	318	0.34 में से 0.1977	कैलाशचन्द पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/20, कानी पत्नि श्रवण हिस्सा- 1/25, कालूराम पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/20, नाबालिग छोटीलाल पुत्र श्रवण संरक्षक सरपरस्त कानी बेवा श्रवण हिस्सा- 1/25, पूरणमल पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/25, पूरणमल पुत्र जग्गा हिस्सा- 1/5, प्रत्या पुत्र गोगा हिस्सा- 1/5, बाल्या पुत्र गोगा हिस्सा- 1/5, नाबालिग मोहनलाल पुत्र श्रवण संरक्षक सरपरस्त कानी बेवा श्रवण हिस्सा- 1/25, लक्ष्मण पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/20, नाबालिग सन्तोष पुत्री श्रवण संरक्षक सरपरस्त कानी बेवा श्रवण हिस्सा- 1/25, सिद्धार्थ पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/20 समस्त जाति- मीना सा. देह। खातेदार	
		319	0.55 में से 0.4423		
		320	0.26		
		321	0.27		
		322	0.35		
		323	0.34		
		324	0.29		
		325	0.09		
		330	0.31		
		331	0.38		
		436	0.73		गणेश पुत्र भौमा हिस्सा- 1/2, मूलचंद पुत्र छोटु हिस्सा- 1/2 जाति- मीना सा. देह खातेदार
		332	0.26 में से 0.13		गणेश पुत्र भौमा हिस्सा- 1/6, मूलचंद पुत्र छोटु हिस्सा- 1/6, श्योजी पुत्र हुक्मा हिस्सा- 1/2 में से 1/3 जाति- मीना सा. देह खातेदार
		433	0.34		उगन्तीदेवी पत्नि चन्दूलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- मीना नि.1 सरस्वती नगर
		434	01.19		मालवीय नगर खातेदार
		435	0.83		चन्दूलालमीणा पुत्र श्रीयालाल हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. .1 सरस्वतीनगर
442	0.42	जयपुर खातेदार			
440	0.35	श्यामारायण पुत्र सुन्डा हिस्सा- पूर्ण जाति- मीना सा. देह खातेदार			

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.॥ जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-3916

दिनांक 18-11-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।



18/11/22

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102233

दिनांक: 18/11/2022

लोक सूचना

श्री VIDYA ROCKS PRIVATE LIMITED DIR LALIT KUMAR LOMROD पुत्र श्री BHINYA RAM LOMROD जाति JAT निवासी 92A, PRATAP NAGAR KHATIPURA ROAD NEAR HOTEL MAHARAJA JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	बिन्दायका, जयपुर (जयपुर)	VIDYA ROCKS PRIVATE LIMITED	541	3667	0.3667
2.	बिन्दायका, जयपुर (जयपुर)	VIDYA ROCKS PRIVATE LIMITED	904/542	4531	0.4531
				<b>कुल</b>	<b>0.8198</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18-11-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:-** लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम धोराला, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

उपायुक्त

जोन-14, जविप्रा, जयपुर

ale

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2022/डी-3606

दिनांक:- 18.11.22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102228

दिनांक: 18/11/2022

लोक सूचना

श्री BABU LAL MEENA पुत्र श्री PRABHATI LAL MEENA जाति MEENA निवासी TEH. AMER KHORA MEENA JAIPUR


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	धोराला, चाकसू (जयपुर)	BABU LAL S/O PRABHATI LAL	345	1900	0.19
2.	धोराला, चाकसू (जयपुर)	BABU LAL S/O PRABHATI LAL	349	2300	0.23
3.	धोराला, चाकसू (जयपुर)	BABU LAL S/O PRABHATI LAL	353	8600	0.86
कुल					1.28

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18-11-2022 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


कार्यालय-शमकिशोर भवन, जे.एल.एन मार्ग, इन्दिरा सर्किल, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-07/2022/डी-2492

दिनांक 18/11/2022

## सूचना

नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति योजना विद्युत नगर-बी के सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 57 से 60 दर्शित है एवं मौके पर भी उक्त भूखण्डों पर निर्माण होकर रहवास है, किन्तु योजना के अनुमोदित मानचित्र में उक्त स्थान पर फैसेलिटी दर्शित है। अतः प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के क्रम में मौके पर कब्जे अनुसार योजना मानचित्र में संशोधन कर भूखण्ड संख्या 57 से 60 अनुमोदित मानचित्र में सृजन पश्चात आवेदक श्री राकेश सैनी पुत्र स्व. श्री सीताराम सैनी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही किये जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दें। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेंगी।

  
उपायुक्त जोन-07,

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को नियमानुसार दैनिक सञ्चार-पत्र में आम सूचना प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-07  
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-06  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102226

दिनांक: 18/11/2022

लोक सूचना

श्रीमति BHAGWATI DEVI SHARMA पत्नी श्री RAMPAL SHARMA जाति BRAHMAN निवासी PLOT 4  
BALDEV NAGAR JHOJHRIYA KI DHANI GRAM MACHDA TEH AMER JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	माचेडा, आमेर (जयपुर)	BHAGWATI DEVI W/O RAMPAL SHARMA	910/1260	400	0.04
2.	माचेडा, आमेर (जयपुर)	BHAGWATI DEVI W/O RAMPAL SHARMA	910/1267	15700	1.57
कुल					1.61

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना गेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18-11-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-06  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर